

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा**आर्बिट्रेशन वाद संख्या:-८९/२०२०****बिन्देश्वरी भगत.....आवेदनकर्ता****-बनाम-****राज्य.....रेसर्पोण्डेन्ट****--: आदेश :-**

प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद बिन्देश्वरी भगत, पिता-स्व० हरिलाल भगत, सा०-पुरानी बाजार बख्तियारपुर, थाना-बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-१०७ (महेशखुट- सोनवर्षा राज- सहरसा-मधेपुरा- पूर्णियाँ खण्ड) के किलोमीटर ३०.१५० से किलोमीटर ८३.७५० तक) हेतु अधिग्रहित उनकी निम्न वर्णित भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारित करते हुए वाद सं०- ०८/२०१४-१५, पंचाट संख्या-२० के तहत सूचित मुआवजा के विरुद्ध दायर किया गया है :-

वादगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा/याना नं०	खाता सं०(पु०)	खेसरा सं०(पु०)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकबा (ए०)	मुआवजा	अभ्युक्ति
बख्तियारपुर/६४	४४१	४२२	कृषि	१८,८५,४५५	०.३७	१७,८८,८३३	

अपीलार्थी की ओर से दायर वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि वादगत भूमि उन्हें डिसक्लेमर डीड सं०-७७६१ दिनांक २२.०४.१९७८ से प्राप्त १ बीघा १८ कट्ठा भूमि का एक भाग है। आवेदक का कहना है कि संबंधित नोटिस में अधिग्रहित भूमि की चौहद्दी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण अधिग्रहित भूमि के रकबा का निर्धारण दोषपूर्ण है। आवेदक का कहना है कि उन्हें गजट अधिसूचना में प्रकाशित भूमि के किस्म / प्रकृति की जानकारी नहीं थी, किन्तु संबंधित नोटिस दिनांक १४.११.२०२० को प्राप्त होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी

गणना की गई है, जो पूर्णतया गलत है। आवेदक का कहना है कि वर्तमान में नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर अन्तर्गत किसी भी समतल अथवा सूखी भूमि का स्वरूप "कृषि" नहीं है। आवेदक की प्रश्नगत भूमि वार्ड नं०-०१ में अवस्थित है तथा उक्त भूमि के आसपास कई लोगों का आवास बना हुआ है। आवेदक के द्वारा विक्रय विलेख संख्या-३१२५ दिनांक ०६.०८.२०१९ की प्रति संलग्न करते हुए उनकी वादगत अधिग्रहित कुल-३७ डिसमिल भूमि का मूल्य १,६०,३३०/-रु० प्रति डिसमिल की दर से मो०-५९,३२,२१०/- रु० तथा उसके दोगुणा १,१८,६४,४२०/-रु० के मुआवजा का दावा किया गया है। उनके अनुसार उक्त नोटिस में उन्हें मुआवजा की राशि मात्र १७,८८,८३३/-रु० निर्धारित किया गया है, जो वास्तविक प्रतिकर से बहुत ही कम है। तदालोक में आवेदक के द्वारा मुआवजा की राशि पुनरीक्षित करने हेतु उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act- 1956 की धारा 3A के तहत दिनांक ०६.०५.२०१५ को प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-४२२ का किस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है तथा धारा-३D के तहत दिनांक ०२.०५.२०१६ में भी किस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है। समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक ४१४-२/भू०अ० दिनांक १७.०८.२०१८ द्वारा गठित उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा- बख्तियारपुर/६४ अन्तर्गत स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित 'प्रतिवेदन में भूमि का किस्म/प्रकृति "कृषि" प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act- 1956 की धारा 3G के तहत मौजा- बख्तियारपुर/६४ के अंकित खेसरों का संशोधित प्राक्कलन दिनांक २६.११.२०१९ को NHA से स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा NHA से स्वीकृत्योपरान्त पंचाट तैयार कर रैयतों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्पत्तिवर्तन (Change in land use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। तदालोक में उनके द्वारा किस्म परिवर्तन एवं तदनुसार मुआवजा भुगतान से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जबाब में बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा NHA को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत भूमि की किस्म / प्रकृति धारा-३A




गजट अधिसूचना में "कृषि" प्रकाशित किया गया तथा छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि का स्वरूप "कृषि" प्रतिवेदित किया गया। तदालोक में बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की नियमानुसार गणना कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय / कृषि होने के संबंध में न तो छः सदस्यीय समिति के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य रखा गया और न ही इस न्यायालय में। तदालोक में आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से किये गये किस्म परिवर्तन तथा मुआवजा पुनरीक्षण के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि RFCTLARR Act-2013 की धारा-23 के अनुसार जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण में अर्जनाधीन वादगत खेसरा सं०-422, जिसका स्वरूप "कृषि" है, के बाजार मूल्य का निर्धारण RFCTLARR Act-2013 की धारा-26(i)(b) में वर्णित प्रावधान के आलोक में विकासशील श्रेणी की भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर मो० 18,854.55/-रु० प्रति डिसमिल की दर से किया गया है। जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मुआवजा का निर्धारण कर भुगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है। स्पष्टतः यह भूमि अधिग्रहण के समय कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था तथा उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के दर को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में निबंधित विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है, जो RFCTLARR Act के Sec-26 के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा जाँचोपरान्त "कृषि" श्रेणी की भूमि के रूप में प्रतिकर निर्धारित करते हुए मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।


आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 43 ~~सूचना~~ / विधि


सहरसा, दिनांक 05-1-2024

प्रतिलिपि:- समाहर्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आर्बिट्रेशन वाद सं०-89/2020 में दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:- बिन्देश्वरी भगत, पिता-स्व० हरिलाल भगत, सा०-पुरानी बाजार, थाना-बख्तियारपुर, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।